

सोने के आभूषणों को गिरवी रखकर कृषि ऋण के लिए आवेदन

शाखा / कार्यालय के उपयोग हेतु

फोटो	फोटो
------	------

सीआईएफ :	
_____ के द्वारा बनाई गई ।	_____ के द्वारा सत्यापित ।
कर्मचारी संख्या:	कर्मचारी संख्या:
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर

सेवा में,
शाखा प्रबंधक, इंडियन बैंक
.....शाखा

बचत खाता सं.	आभूषण ऋण खाता सं.

प्रिय महोदय,

मैं/हम आपसे अनुरोध करता/करती/करते हूँ/हैं कि मुझे/हमें, निम्नलिखित सोने के आभूषणों को गिरवी रखने के बदले, रु. (..... रुपये) का ऋण प्रदान करने की कृपा करें। इस ऋण का आवेदन कृषि/संबद्ध गतिविधियों/_____ खर्चों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, जैसा कि आवेदन में वर्णित है।

आवेदक(कों) का नाम : आयु : लिंग : पुरुष/ महिला

पिता/पति का नाम :

उपजीविका : कृषि / संबद्ध गतिविधियों में संलग्न

पता:
.....
.....

आधार संख्या																			
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मोबाइल संख्या																			
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ई-मेल पता	
-----------	--

कृषि भूमि से संबंधित विवरण निम्नावत है :

ग्राम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल का विस्तार (एकड़ में) (यदि लागू हो)	फसल उगाई गई / प्रस्तावित विकास

पीएमएफबीवाई कवरेज लेने के इच्छुक हैं? : हां/नहीं, यदि हां, तो फसल बीमा प्रीमियम की राशि रु. _____

और/या

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि मैं/हम, डेयरी/बकरी पालन/भेड़ पालन/मत्स्य पालन/मुर्गी पालन/अन्य कृषि संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं।

कृषि संबद्ध गतिविधियों से संबंधित विवरण:

गतिविधि का नाम	इकाइयों की संख्या
1. डेयरी / मवेशी	
2. बकरी पालन/ भेड़ पालन	
3. मत्स्य पालन	
4. पोल्ट्री	
5. अन्य कृषि संबद्ध गतिविधियाँ (कृपया गतिविधि का उल्लेख करें)	

संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में पेश किए गए गहनों का विवरण

विवरण	कुल भार (ग्राम में) आकृति और शब्द, दोनों में	कुल भार (ग्राम में) आकृति और शब्द, दोनों में

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि उपरोक्त आभूषण मेरी/हमारी संपत्ति है और किसी अन्य व्यक्ति का उन पर कोई दावा नहीं है। मैं/हम घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि गिरवी रखा गया सोना नकली नहीं है।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती/करते हूँ/हैं कि मैंने ऊपर उल्लिखित कृषि भूमि/सर्वे संख्या के एवज में किसी अन्य बैंक/सहकारिता/वित्तीय संस्था से ऋण नहीं लिया है।

मैं/हम प्रमाणित करता/करती/करते हूँ/हैं कि मेरे /हमारे ऊपर आपका निम्नलिखित ऋण बकाया है (यदि हो, तो विवरण दें)

सुविधा का प्रकार	योजना	सीमा	बकाया शेष

मैं/हम, एतद्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का पालन करने के लिए भी सहमत हूँ/हैं:

- आभूषण ऋण के मामले में, बैंक को ऋण का आंशिक भुगतान प्राप्त होने पर आभूषण (ओं) की सुपुर्दगी केवल मूलधन, ब्याज और लागत तथा अन्य खर्चों की पूर्ण चुकौती पर ही की जा सकती है, जैसा कि स्वीकृति-पत्र में निर्धारित किया गया है।
- कृषि आभूषण ऋण के लिए उधारकर्ता को देय तिथि पर लागू ब्याज सहित बकाया ऋण का पूरा भुगतान बैंक के कार्यालय में करना होगा।
- इस तरह के भुगतान में चूक होने पर, बैंक उधारकर्ता (ओं) को बिक्री की उचित सूचना देने के बाद या तो सार्वजनिक नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा उधारकर्ता (ओं) के जोखिम पर गिरवी रखे गए, आभूषण (ओं) को बेचने का हकदार होगा। घाटे के मामले में, बैंक को व्यक्तिगत रूप से उधारकर्ता (ओं) से इस घाटे को वसूल करने का अधिकार होगा।

4. गिरवी रखे गए आभूषणों पर बैंक का ग्रहणाधिकार होगा और वह किसी भी अन्य राशि या उस धनराशि पर आभूषणों को बेचने का हकदार होगा, जिसके लिए उधारकर्ता, अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से, बैंक को उसके कार्यालय में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।
 5. उधारकर्ता (ओं) द्वारा बैंक को दिए गए पते पर साधारण डाक द्वारा भेजा गया पत्र या उनके द्वारा बैंक को दिए गए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस/व्हाट्सएप संदेश या बैंक को दिए गए ई-मेल पता पर किया गया ई-मेल, उन्हें सभी उद्देश्यों के लिए सूचना देने हेतु पर्याप्त होगा।
 6. बैंक के वर्तमान नियम तथा आभूषणों को गिरवी रखने के संबंध में समय-समय पर बनाए/संशोधित किए जाने वाले नियम, उधारकर्ता (ओं) पर बाध्यकारी होंगे।
 7. आभूषणों को बैंक द्वारा तिजोरियों में रखा जाएगा तथा सुरक्षित अभिरक्षा के लिए बैंक द्वारा सामान्य सावधानी बरती जाएगी। क्रीमती सामान केवल उधारकर्ता के जोखिम पर रखा जाता है।
 8. भले ही ऋण पहले चुका दिया गया हो, फिर भी कम से कम एक महीने का ब्याज देना होगा।
 9. मैं/हम, एतद्वारा बैंक को आभूषण ऋण खाते के बंद होने के 3 महीने से अधिक समय तक बैंक की अभिरक्षा में रखे गए आभूषण पर "सुरक्षित अभिरक्षा शुल्क" लागू करने के लिए अधिकृत करता/करती/करते हूँ/हैं तथा इस संबंध में बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी अन्य नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हूँ/हैं।
 10. मैं/हम एतद्वारा बैंक को इस तिथि से पूर्ण भुगतान की तिथि तक, "मासिक/तिमाही/छमाही/वार्षिक, जिस भी अंतराल पर देय हो, इस प्रकार का ब्याज हर वित्तीय/कैलेंडर _____ (यहां माह/तिमाही/छमाही/वर्ष जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करें) के अंतिम कार्य दिवस पर बकाया शेष राशि में जोड़ा जाएगा तथा उक्त ब्याज का यदि भुगतान नहीं किया गया है, तो वह अग्रिम राशि का हिस्सा बन जाएगा एवं उस पर समान दर से ब्याज लिया जाएगा", _____ *प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से उक्त खाते को चार्ज और डेबिट करने के लिए अधिकृत करता/करती/करते हूँ/हैं।
- * आरबीआई की नीति के अनुसार रेपो दर (पिछली तिमाही के अंत में)% + प्राइम स्प्रेड #.....%+ ऋण जोखिम प्रीमियम^%+ बिजनेस स्ट्रैटेजी प्रीमियम.....%
11. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के नीति निर्देशों/बैंक नियमों के अनुसार ऊपर बताई गई दर से अधिक ब्याज दर लेने का हकदार है तथा मैं/हम, ऐसी बढ़ी हुई ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
 12. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि बैंक के पास प्राइम स्प्रेड को संशोधित करने का अधिकार होगा।
 13. उधारकर्ता एतद्वारा बैंक को अधिकृत करता है कि उक्त खाते से निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर) [एक वर्ष] (वर्तमान एमसीएलआर _____%, प्रभावी ब्याज की दर _____% प्रति वर्ष), बचे हुए दैनिक शेष _____ के साथ प्रभारित एवं डेबिट किया जाएगा; इस प्रकार का ब्याज प्रत्येक वित्तीय/कैलेंडर _____ (यहां, माह/तिमाही/छमाही/वर्ष जैसा भी मामला हो, का उल्लेख करें) के अंतिम कार्य दिवस की बकाया शेष पर जोड़ा जाएगा और यदि यह चुकाया नहीं जाता तो यह अग्रिम ऋण का हिस्सा हो जाएगा एवं उस पर भी समान दर से ब्याज लिया जाएगा। [लागू बेंचमार्क पर निशान लगाएँ]
 14. उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं कि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों/बैंक के नियमों के अनुसार ऊपर बताई गई दर से अधिक ब्याज दर लेने का हकदार है और उधारकर्ता, इस तरह की बढ़ी हुई ब्याज दर पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत है। बैंक के पास एमसीएलआर/स्प्रेड, उनमें से कोई भी या सभी, या तो ऊपर या नीचे, को संशोधित/रीसेट करने का अधिकार होगा।

15. जब भी बैंक की रेपो दर / एमसीएलआर / स्प्रेड में परिवर्तन किया जाता है तो इसे, शाखा द्वारा / वेबसाइट या समाचार पत्र में प्रकाशित करके / उधारकर्ता (ओं) को भेजी गई पासबुक/खातों के विवरण में प्रभारित ब्याज की प्रविष्टि के माध्यम से, प्रदर्शित/अधिसूचित किया जाएगा तथा उधारकर्ता (ओं) को ब्याज दर में परिवर्तन की यह सूचना प्राप्त हो गया है, यह मान लिया जाएगा। उधारकर्ता (ओं) को ब्याज में परिवर्तन के संबंध में व्यक्तिगत सूचना देना आवश्यक नहीं है।
16. अस्थायी ब्याज दर वाले ऋणों के मामले में, उधारकर्ता (ओं) को रीसेट तिथियों के संबंध में बैंक द्वारा स्वीकृत और उधारकर्ता (ओं) द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प का पालन करना होगा, जो या तो ऋण/क्रेडिट सीमा के पहले संवितरण की तारीख से या रेपो रेट/एमसीएलआर की समीक्षा की तारीख से जुड़ा है।
17. उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं कि पहले संवितरण की तारीख पर प्रचलित रेपो दर / एमसीएलआर, चाहे आंशिक या पूर्ण हो, अंतरिम अवधि के दौरान बेंचमार्क में बदलाव के बावजूद अगली रीसेट तिथि तक लागू रहेगी।
18. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि बैंक, स्वीकृत नियमों एवं शर्तों के अनुसार उधारकर्ता के जोखिम प्रोफ़ाइल में परिवर्तन होने पर ऋण जोखिम प्रीमियम को वार्षिक रूप से ऊपर या नीचे संशोधित करने का हकदार है।
19. मैं/हम, आगे सहमत हूँ/हैं कि संबंधित देय तिथियों पर ब्याज/किशतों के भुगतान में चूक या खाते में किसी भी अनियमितता या इसमें निहित किसी भी नियम और शर्तों का पालन न करने की स्थिति में; बैंक, डिफॉल्ट की गई राशि के संविदात्मक / अधिकतम ब्याज दरों पर 2% से अधिक या समय-समय पर लागू भारतीय रिजर्व बैंक / बैंक के नियमों के अनुसार अर्ध-वार्षिक आधार पर जारी दर पर ब्याज लेने का हकदार है।
20. मैं/हम आगे सहमत हैं कि जब भारतीय रिजर्व बैंक की नीति दरों में संशोधन किया जाता है, तो बैंक बिना किसी व्यक्तिगत सूचना के ब्याज दर को बदलने का हकदार होगा।
21. जब भी रेपो दर/स्प्रेड में परिवर्तन किया जाता है तो इसे शाखा द्वारा / वेबसाइट या समाचार पत्र में प्रकाशित करके / उधारकर्ता (ओं) को भेजी गई पासबुक/खातों के विवरण में प्रभारित ब्याज की प्रविष्टि के माध्यम से, प्रदर्शित/अधिसूचित किया जाएगा तथा ब्याज दर में हुए परिवर्तन की यह सूचना मुझे प्राप्त हो गया है, यह माना जाएगा। ब्याज में परिवर्तन के संबंध में मुझे/हमें व्यक्तिगत सूचना देना आवश्यक नहीं है।
22. मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि प्रथम संवितरण की तिथि पर ब्याज दर, चाहे आंशिक हो या पूर्ण, तिमाही के अंत तक लागू रहेगी।
23. मैं/हम आगे इस बात से सहमत हैं कि जब भी भारतीय रिजर्व बैंक की नीति के अनुसार दरों में संशोधन किया जाता है, तो बैंक, बाद की तिमाही की पहली तारीख से या समय-समय पर बैंक द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य तारीख से ब्याज दर में बदलाव करने का हकदार होगा।
24. मैं/हम, सेवा शुल्क, सीईआरएसएआई शुल्क, प्री-क्लोजर शुल्क, आकस्मिक शुल्क, टाइपिंग और डाक व्यय, कानूनी नोटिस व्यय, सूचना उपयोगिताओं के लिए वित्तीय सुचानाओं के इलेक्ट्रॉनिक भंडारण आदि, से संबंधित व्यय जो बैंक द्वारा खर्च किया जा सकता है, उसके शुल्क/प्रभार जैसे सभी खर्चों और शुल्कों को डेबिट करने के लिए, बैंक को अधिकृत करने पर सहमत हूँ/हैं।
25. मैं/हम एतद्वारा सहमत हूँ/हैं तथा इस तरह के सभी या किसी भी प्रकटीकरण के लिए, बैंक को मेरी/हमारी सहमति देता/देती/देते हूँ/हैं:
 - उधारकर्ता (ओं) से संबंधित जानकारी और डेटा
 - बैंक द्वारा दी गई/दी जाने वाली तथा उधारकर्ता (ओं) द्वारा प्राप्त की जाने वाली, किसी भी क्रेडिट सुविधा में उधारकर्ता (ओं) के दायित्वों से संबंधित जानकारी या डेटा और

- उधारकर्ता द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन के संबंध में दिए गए वचनों के अनुपालन में यदि कोई चूक होता है तो इंडियन बैंक, उचित और आवश्यक समझने पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को इसकी जानकारी दे सकता है।

26. मैं/हम आगे सहमत हूँ/हैं और सहमति देते हैं कि

- क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड तथा इस प्रकार की प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग, कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा उचित समझे जाने वाले तरीके से कर सकती है, और
- क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड और इस प्रकार की प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी विचार के लिए उनके द्वारा तैयार की गई संसाधित जानकारी और डेटा या उत्पादों को बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट अनुदानकर्ताओं या पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को प्रस्तुत कर सकती है, जैसा कि आरबीआई द्वारा इस विषय में निर्दिष्ट किया गया हो।

27. इस संबंध में, मैं/हम स्पष्ट रूप से आपको आयकर विभाग और किसी भी अन्य सरकारी विभाग/प्राधिकरण/एजेंसी से संपर्क करने के लिए अधिकृत करता/करती/करते हूँ/हैं ताकि आप मेरे/हमारे तथा हमारे उक्त व्यवसाय या कार्यकलाप के बारे में इस प्रकार के प्राधिकरण या इकाई को दी गई जानकारी (बिना किसी सीमा के, बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता, आय विवरण और रिटर्न सहित) का प्रयोग करने तथा उधारकर्ता द्वारा आवेदित /ली गई क्रेडिट सुविधा के संबंध में, आपको सत्यापन के उद्देश्य से यह जानकारी प्रस्तुत की गई है।

28. मैं/हम, बैंक द्वारा निर्धारित समय-सारणी/देय तिथि के अनुसार ऋण चुकाने के लिए सहमत हूँ/हैं।

29. मैं/हम, एतद्वारा प्रमाणित करते हूँ/हैं कि ऊपर दिए गए सभी विवरण सत्य हैं। मैं मूल्यांकक द्वारा सोने की शुद्धता, वजन, बाजार मूल्य आदि को प्रमाणित करने वाली मूल्यांकन रिपोर्ट, इसके साथ संलग्न करता/करती हूँ। मूल्यांकक का शुल्क, इच्छुक उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाना चाहिए तथा उसका भुगतान सीधे मूल्यांकक को किया जाना चाहिए।

30. मैं/हम, आपसे कृषि के लिए रु. _____ (रुपये _____ केवल) के आभूषण ऋण को स्वीकार करने हेतु अनुरोध करता/करती/करते हूँ/हैं। मेरे द्वारा झूठी/गलत घोषणा के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी हानि या क्षति की स्थिति में, मैं बैंक को नुकसान की भरपाई करूंगा तथा बैंक, इसपर उचित कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी स्वतंत्र होगा।

तारीख:

भवदीय,

जगह:

आवेदक के हस्ताक्षर

शाखा उपयोग के लिए

ए)

क्र.सं	फसल का नाम (1)	सीमा (एकड़ में) (2)	वित्त की सीमा (रु.) (3)	पात्र ऋण राशि (रु.) क्र.सं. (2X3)
ऋण की कुल पात्र राशि (ए)				
				रुपये

बी) की गई/प्रस्तावित संबद्ध गतिविधियों का विवरण

गतिविधि का नाम	इकाइयों की संख्या	आवश्यक ऋण राशि
डेयरी/बकरी पालन/भेड़ पालन/मत्स्य/पोल्ट्री/सेरीकल्चर/मधुमक्खी पालन/अन्य कृषि संबद्ध गतिविधियां		

सी) गैर-संस्थागत उधारदाताओं से कृषि हेतु लिए गए ऋण की चुकौती के लिए :

रुपये

घ) गिरवी रखे गए सोने के शुद्ध वजन के बाजार मूल्य का % :

रुपये

अग्रिम की पात्र राशि (ए+बी+सी) या डी जो भी कम हो) :

रुपये

आभूषणों के मोचन की नियत तिथि:

कृषि / कृषि से संबद्ध प्रयोजन के लिए _____ की ब्याज दर पर रु. _____ (रुपये _____ केवल) का ऋण स्वीकृत किया गया, जो देय तिथि अर्थात _____ को या उससे पहले चुकाया जाना है।

दिनांक:

स्थान:

शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर

अंतिम उपयोग का सत्यापन	निरीक्षण की तिथि:
<p align="right">अधिकारी/शाखा प्रबंधक का हस्ताक्षर</p>	

